

श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर पीठ रीवा संभाग
रीवा



निज-24445-III-13

श्री निदेश प्रताप पीठ
व्या 92/ 2-12-13

3921

केसक ऑफ कोर्ट

1-लक्ष्मण प्रसाद तनयश्री राजकरण पटेल सा० पड़रिया
तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा म० प्र०

जस्व कर्चु म० प्र०

आनन्द बहादुर तनय श्री राजकरण पटेल सा०
पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा म० प्र०

5/11/13

कोर्ट प्राप्त प्र०

----आवेदक गण / रेस्पा०गण

बनाम

शिवदयाल पटेल तनय श्री काशीनाथ पटेल सा० पड़रिया
तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा म० प्र०

----अनावेदक / अपीलान्ट

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री
अनुबिभागीय अधिकारी प्रभारी
तहसील रायपुर कर्चु० रा०
प्रकरण क० 2736/ 09-010
आदेश दिनांक 04/10/13
मुताविक धारा 50 म० प्र०
भू० रा० सहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

1- यह कि अधी० न्यायालय की आज्ञा बिधि एवं प्रकिया
के बिरुद्ध है।

2- यह कि अनावेदक के पिता काशीनाथ पटेल ने
सम्मिलित परिवार की भूमि 216,221,222 तीन
किता स्थित ग्राम कुइर्यो तहसील रायपुर कर्चु० जिला
रीवा जिसमें अपीलान्ट के पिता का 20 पैसे हिस्सा था,
में अनावेदक के पिता ने 8 पैसे आवेदक गण के पक्ष
में जरिये रजि० बिक्रय पत्र के माध्यम से हस्तान्तरित
कर कब्जा दखल दे दिया था उसी रकवे का नामान्तरण
, नामान्तरण पंजी क० 2 के माध्यम से जरिये रजि०
दस्तावेज आवेदक गण के पक्ष में हुआ था, आवेदक
गण के पक्ष में हुए नामान्तरण के सम्बन्ध में आवेदक
का कोई हक हित न होने से न तो वह रुचिकर
पक्षकार था, और ना ही उसे आवेदक गण के पक्ष में
किये गये नामान्तरण की सूचना ही देने की आवश्यकता
ही थी, किन्तु अनावेदक काशीनाथ का पुत्र होने से उसे
पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, मानकर अनावेदक
द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधि० का आवेदन पत्र
स्वीकार करने में अधी० न्यायालय ने भूल की है

899
2-12-13

केसक ऑफ कोर्ट द्वारा आज
प्राप्त

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-4445-III / 13

जिला-रीवा

लक्ष्मण प्रसाद / शिवदयाल पटेल वगैरः

(1)	(2)	(3)
<p>18.12.18</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री हीरालाल पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 27/अ-27/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 04.10.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	